न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
पीठासीन अधिकारी सुरेश चावला(RAS)
राजस्व वाद सख्या–87/2007

रामेश्वर प्रसाद सुपुत्र श्री मोतीलाल आयु 69 साल जाति ब्राह्मण निवासी फतेहगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर हाल निवासी पुरानी मण्डी अजमेर। बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 मोतीलाल वल्द लक्ष्मण जाति ब्राह्मण निवासी फतेहगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर। .....वादी

बनाम

1. प्रहलादी बेवा सुवालाल
   बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद सुवालाल व रामदयाल पिसरान रामचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी फतेहगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर।
2. ओमप्रकाश वल्द मोतीलाल जाति ब्राह्मण
   बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 मोतीलाल वल्द लक्ष्मण जाति ब्राह्मण निवासी फतेहगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर।
3. सतीशचन्द्र वल्द तेजमल
4. धनश्याम वल्द तेजमल
   3 व 4 बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 श्रीमति नोरती बेवा तेजमल एवम तेजमल वल्द भोलु व भोलू उर्फ भोलूराम जाति ब्राह्मण निवासी फतेहगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर।
5. श्रीमती गुलाबी बेवा भोलू जाति ब्राह्मण निवासी फतेहगढ बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 भोलू उर्फ भोलूराम जाति ब्राह्मण निवासी फतेहगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर।
6. कल्लू उर्फ कल्याणमल वल्द मोहन जाति ब्राह्मण निवासी फतेहगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0।
7. राजस्थान सरकार जरिये भू धारक तहसीलदार, मसूदा। .....प्रतिवादीगण

वादवास्ते घोषणा अधिकार एवम रेकार्ड दुरूस्ती वादपत्र अन्तर्गत
धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
निर्णय

दिनांक 11.02.2017

इस वाद पत्र में वादी ने साराशतः निवेदन किया है कि ग्राम फतेहगढ तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित आराजी ख0 न0 329 रक्बा 1बीघा 330 रक्बा 1–07–00 व 331 रक्बा 2–03–00 किता 3 रक्बा 4–10–00 बीघा भूमि में 1/3 हिस्सा रामदयाल वल्द रामचन्द्र व प्रहलादी बाई बेवा सुवालाल का तथा 1/3 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के पिता मोतीलाल वल्द लक्ष्मण का तथा 1/3 हिस्सा भी भोलू उर्फ भोलूराम तथा कल्लू उर्फ कल्याणमल वल्द मोहन जाति ब्राह्मण का है। प्रतिवादी संख्या 3 के पिता का स्वर्गवास हो गया है उसका एक मात्र वारिस प्रतिवादी संख्या 3 ही है।

वादग्रस्त आराजी के 2/3 को बरूए बेचाननामा दिनांक 16.10.1976 को श्री रामदयाल वल्द रामचन्द्र एवं मु0 प्रहलादी बाई बेवा सुवालाल एवं भोलू उर्फ भोलूराम तथा कल्लू उर्फ कल्याणमल ने बिल एवज प्रतिफल राशि रु 99/– में वादी को रूबरू गवाहान कब्जा संभला दिया तब से वादी का कब्जाकाश्त विवादित आराजी के 2/3 हिस्से एवं स्व0 मोतीलाल के 1/6 हिस्से सहित कुल 5/6 पर चला आता है। इसी प्रकार रामदयाल वल्द रामचन्द्र का स्वर्गवास हो गया है उसकी एक मात्र उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 है। भोलू उर्फ भोलूराम का भी स्वर्गवास हो गया है उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 से 5 है जो विकय इकरार पत्र दिनांक 16.10.1971 से पाबंद है। वादी गत 36 वर्षा से विवादित आराजी के 5/6 हिस्से पर काबिज काश्त चला आ रहा है अतः उसे इसमे खातेदार घोषित किया जावे तथा 1/6

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

हिस्से का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार घोषित किया जावे। बयनामा रु 100/– से कम कीमत के सौदे का होने से इसका पंजीयन कराना आवश्यक नही था। वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर वादी को विक्रय पत्र दिनांक 16.10.1971 के आधार पर 2/3 हिस्से एवं उसके पिता स्व0 मोतीलाल के 1/3 हिस्से के 1/2 हिस्से अर्थात 5/6 हिस्से का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के स्थान पर राजस्व भू अभिलेख में खातेदार दर्ज करवाया जावे। संशोधित वाद में प्रतिवादी संख्या 2 के पिता मोतीलाल का निधन हो गया है उसका एक मात्र वारिस प्रतिवादी 2 है। अनुतोष में निवेदन किया है कि बेचानामा दिनांक16.10.1971 से वादी के निरन्तर कब्जे के आधार पर वादी को 2/3 हिस्से तथा उसके पिता के 1/3 हिस्से के 1/2 हिस्से अर्थात 5/6 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1,3 व 4 से 6 के स्थान पर विवादित आराजी में वादी का नाम लगाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 3 व 4 ने अपने प्रतिवादी पत्र में वाद कथनो से इन्कारी करते हुए निवेदन किया है कि दिनांक 16.10.1971 को उत्तरदाता प्रतिवादीगण ने कथित रूप से भूमि बेचान की और ना ही रु 99/– प्राप्त किये और ना ही कभी वादी को भूमि का कब्जा संभलाया। प्रतिवादी संख्या 3, 4 व 6 अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चले आते है। प्रतिवादी संख्या 5 की मृत्यू दिनांक 11.12.2007 को हो गई अतः उनके हिस्से की भूमि पर उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 व 4 काबिज काश्त चले आते है। तथा कथित बयनामा फर्जी व कुटरचित है जिससे प्रतिवादीगण पांबद नही है। वादी ने सन् 1971 के बाद पक्षकारान की मृत्यु हो जाने के पश्चात यह वाद विवादित भूमि को हडपने की नियत से यह वाद प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है।

अतिरिक्त कथन में निवेदन किया कि वाद का आधार कथित दस्तावेज दिनांक 16.10.1971 फर्जी व बनावटी है जो विधिनुसार भी अपना अस्तित्व एवं उपयोगिता खो चुका है। अतः प्रभाव शुन्य है व वाद मयाद बाहर है वादी ने विवादित आराजी को हडपने की मंशा से सही तथ्य को छुपाते हुए यह वाद लाया हैं। वैसे भी मामला सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है जिसका क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का नही है इस फर्जी दस्तावेज बाबत् विधि विज्ञान प्रयोग शाला से जांच कराई जावें तो यह फर्जी पाया जावेगा। अतः वाद फर्जी दस्तावेजात के आधार पर लाये जाने से निरस्त योग्य है निरस्त फर्माया जावे।

प्रतिवादिया संख्या 1 ने अपने प्रतिवाद पत्र में निवेदन किया है कि वाद पत्र में प्रतिवादिया 1 एवं रामदयाल वल्द रामचन्द्र को 1/3 हिस्से का खातेदार बताया गया है। रामदयाल वल्द रामचन्द्र के नाऔलादफौत हो जाने से प्रतिवादिया 1 अकेले 1/3 हिस्से का खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 3 के पिता का नाम मोतीलाल न होकर तेजमल है। प्रतिवादिया प्रहलादी ने कभी अपने हिस्से की आराजी को बेचान नही किया है प्रतिवादिया प्रहलादी ने अपने हिस्से को बैंक ऑफ बडौदा के रहनरखकर त्रृणलिया है तथाकथित बेचान पत्र पर प्रतिवादिया की अंगूठा निशानी फर्जी है। वादी यह वाद प्रतिवादिया को हेरान परेशान करने की मंशा से लाया है अतः सव्यय निरस्त फर्माया जावे।

प्रतिवादी संख्या 6 जो नाबालिग है के वली श्रीगोविन्द नारायण शर्मा को नियुक्त किया गया है उन्होनें अपने जवाब में वाद कथनों से इन्कारी करते हुए सव्यय निरस्त करने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी संख्या 7 ने अपने प्रतिवाद पत्र में निवेदन किया है कि विवादित आराजी हाल न0 329, 330, 331 रक्बा 4.10.00 के साबिक न0 348 व 349 होकर जमाबंदी संवत् 2021–24 के खाता संख्या 147 में हीरालाल राधा किशन पिता सदासुख व रामदयाल सुवालाल पिता मोहन के नाम थी जो जमाबंदी संवत् 2072 से 75 के खाता संख्या 115 में हाल न0 329, 330, 331 रक्बा 4.10.00 बीघा प्रहलादी बाई पत्नि सुवालाल 1/3 मोतीलाल वल्द लक्ष्मण 1/3 व नोरती पत्नि तेजमल सतीशचन्द, धनश्याम पिता तेजमल, गुलाबी पत्नि भोलू, कल्लू वल्द मोहन 1/3 हिस्से से दर्ज है जिसमें कल्लू की विरासती ना0 क0 संख्या 701 दिनांक 5.04.16 से कल्लू के स्थान पर नंदलाल वल्द कल्लू व बदामी पत्नि स्व0 कल्लू का नाम लगा

है। तथाकथित बयनामा दिनांक 16.10.1971 रु 99/– मालियत का है और 2/3 हिस्से अर्थात 3 बीघा भूमि के लिए है जो रजिस्टर्ड नही है यह अचल सम्पत्ति कृषि भूमि के विक्रय का है जो साक्ष्य में ग्राहय योग्य नही है इसके आधार पर वादी के विवादित आराजी में कोई अधिकार उत्पन्न नही होते। अपेक्षित अनुतोष राजहित के विपरीत होने से वाद सव्यय निरस्त फर्माया जावे।

प्रतिवाद प्राप्ति पर तनकियात कायमकर शहादत पक्षकारान तलब की गई। वादी ने अपने बयान शपथ पत्र में वाद कथन दोहराते हुए वाद डिक्री किये जाने के कथन किये है। वही प्रतिवादी संख्या 2 ने अपने बयान शपथ पत्र में तथाकथित बयनामा दिनांक 16.10.1971 को कुटरचित बताते हुए वाद सव्यय निरस्त करने का निवेदन किया है। वाद पत्र पर बहस विद्धान अभिभाषक सुनी गई। पैरोकार प्रतिवादी संख्या 7 के भी तर्क वितर्क सुने गये। उनके तर्क वितर्क वाद प्रतिवाद कथनानुसार ही रहे है।

उभयपक्षान के तर्क वितर्क पर विवेचन करते हूए पत्रावली का अवलोकन किया गया। बेचाननामा दिनांक 16.10.1971 एक सादे कागज पर लिखा गया है जिसमें विक्रेतम भूमि को रु 99/– में बेचना अंकित है। इसमें विवादित आराजी को डोली के नाम से जानी जाना लिखा गया है। यह तहरीर काली स्याही से लिखी गई है और इस पर हस्ताक्षर रामदियाल, भोलूराम व कल्याणमल के 20 पैसे का रेवेन्यू स्टेम्प लगाकर तहरीर लिखे जाने के बाद किसी अन्य दिवस को निली स्याही से करवाए जाना स्पष्ट रूप से जाहिर आता है। प्रहलादी बाई नाम से अगूठा निशानी बताई है। गवाह दोनों अनपढ है जिनकी अंगूठा निशानी है। यह दस्तावेज मनमर्जी की कीमत आंक कर लिखा जाना पाया जाता है जो विधिनुसार किसी भी रूप में ग्राहय योग्य नही है इसकी विश्वसनीयता भी संदेहास्पद है। इसके आधार पर वादी किसी भी अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी नही पाया जाता। यह तहरीर सन् 1971 में लिखी गई तो वादी इसके आधार पर विक्रेतागण को नोटिस देकर सिविल न्यायालय से प्रोबेट लेना चाहिए था। प्रोबेट के अभाव में यह तहरीर एक रद्दी पेपर मात्र है।

अभिलेख की स्थिति पर विवेचना के बाद प्रकरण में कायम तनकियात को निम्न प्रकार तय किया जाता है–

तनकी 1 आया वादी विवादित आराजी के 2/3 हिस्से पर अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 16.10.1971 से काबिजकाश्त होने व अपने पिता स्व0 मोतीलाल की विरासत से 1/3 हिस्से के 1/2 हिस्से अर्थात कुल 5/6 हिस्से में खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवाने एवं यथानुसार राजस्व अभिलेखों में अमल करवाने का अधिकारी है?

इसकी भार वादी पर रहा है इसकी साबिति के लिए उसने दिनांक 16.10.1971 को सादे कागज पर तथाकथित लिखी गई तहरीर को आधार दस्तावेज बताया है। जिसके अवलोकन पर इस तहरीर की विश्वसनीयता पर संदेहास्पद स्थिति बनती है क्योकि प्रथम दृष्टिया तहरीर दिवस विक्रेताओं के हस्ताक्षर नही करवाए जाना पाया जाता है तहरीर काली स्याही से लिखी गई है और विक्रेतागण के हस्ताक्षर निली स्याही से है। इसकी पुष्टी में इस पर गवाहान के बयान दर्ज नही कराये है अलावा इसके यह बिना किसी सक्षम न्यायालय से प्रोबेट प्राप्त किये वाद लाया गया है। जिसके आधार पर प्रोबेट के अभाव में वादी किसी भी अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी नही पाया जाता है। तनकी विरूद्व वादी तय की जाती है।

तनकी 2 आया तथा कथित विक्रय पत्र दिनांक 16.10.1971 कुटरचित एवं फर्जी दस्तावेज है जिसे 36 वर्ष बाद एक्ट ओपन किया गया है अतः विवादित आराजी में वादी के इसके आधार पर कोई अधिकार उत्पन्न नही होते। वाद वादी निरस्त योग्य है?

तनकी 3 आया प्रतिवादिया संख्या 1 के फर्जी हस्ताक्षर तथाकथित दस्तावेज दिनांक 10.10.1971 पर किये गये है? दस्तावेज कुटरचित है? यदि हां तो वाद पत्र पर इसका क्या प्रभाव रहेग?

ये दोनों तनकियात एक दुसरे की पूरक है तथा इन्हे साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रहा है। प्रतिवादीगण ने अपने प्रतिवाद पत्रों से ही इस सिद्ध करने की कोशिश की है। प्रतिवाद पत्रों की इबारत को दृष्टिगत रखते हूए ये तनकियां प्रतिवादीगण के पक्षों में तय की जाती है।

4 अनुतोष?

वदी अपने वाद पत्र पर सभी तनकियात के तय किये जाने पर किसी अनुतोष प्राप्ति का अधिकारी नही पाया जाता है अतः –

आदेश

वादी द्वारा ग्राम फतेहगढ पटवार हल्का लाम्बा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थिति आराजी ख0 न0 329 रक्बा 1 बीघा व 330 रक्बा 1–07–00 बीघा तथा 331 रक्बा 2–03–00 सभी किस्म बारानी 3 में 5/6 हिस्से के खातेदार होने की घोषणा के लिए लाया गया वाद सव्यय निरस्त किया जाता है और मृतक मोती लाल वल्द लक्ष्मण के स्थान उनके वारिसान के नाम जमाबंदी में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है वाद खर्च पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 11.2.2017 को सरे इजलास राष्ट्रिय लोक अदालत में सुनाया गया।

(सुरेश चूवला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा,